7

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अखारी बनाम राधेश्याम जवाहर कृपापुत्र गिलहरी जाटव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक :- 3-8-18

प्रकरण संख्या :- 421

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चौरोटी कालान की आ.ख.न. 701 कुल रकबा 1-06 किस्म जमीन गैरमुमकिन में से 0.01 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 0.01 हैक्टर रकबे पर श्री राधेश्याम जवाहर कृपा पुत्र गिलहरी जाटव .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का चौरोटी कालान द्वारा दिनांक 3-8-18 .... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खरेडा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राधेश्याम जवाहर जाति जाटव निवासी चौरोटी कालान को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी 5-8-18 5-7-18 .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 701 रकबा 1-06 में से 0-01 रकबे किस्म गै. मु. फोर्ट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 0-06 पैसे का 50 गुणा 3-00 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अखारी भू.अ.निरी. खरेडा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

प्रतिलिपि :- प. ह.

टा. कि. सं. 6 के पृष्ठ स. 41 क्रम स. 4
वर्ष 2018-19 पैनल्टी राशी रु. 3/-
की कायमी की गई

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील कठूमर